फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री करण शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा नि. बुझड़ा पोस्टः कुंदवा तहसील देवगढ — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद — प्रत्यर्थी

पत्रावली संख्या 34 / 2022

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05 / 2022 / 482—483 दिनांक 18 मई, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग के अभिलेख अनुसार 05 पृष्ठ होने से नियमानुसार 10 / —रू. जमा कराने हेतु अपीलार्थी को पत्रांकः 337 दिनांक 14.03.2022 से सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित राशि का पोस्टल आर्डर सं. 47F 020068 दिनांक 04.04.2022 भिजवाया जाने से अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पत्रांकः 430 दिनांक 20.04.2022 से वांछित सूचना रजिस्टर्ड पत्र से भिजवाई जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना पत्रांकः 430 दिनांक 20.04.2022 द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से भिजवाई जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)